पूर्व कर्मों के दंड और मोक्ष का मार्ग बताया पं. मिश्रा ने

संतों का सानिध्य सौभाग्य से मिलता है, डबरा की धरती गौरवान्वित महसूस कर रही है : डॉ मिश्रा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 12 फरवरी। डबरा स्थित नवगृह शक्ति पीठ में आयोजित प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर चल रही शिवपुराण कथा के दूसरे दिन श्रद्धा और भक्ति का विशेष वातावरण देखने को मिला। प्रसिद्ध शिवपुराण कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा (सीहोर वाले) ने अपने प्रवचन में पूर्व कर्मों के दंड, जीवन में आने वाले दुखों और उनसे मुक्ति के आध्यात्मिक उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंडाल में उपस्थित रहे।

पूर्व जन्मों के कर्म बनते हैं वर्तमान दुखों का कारण: पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि कई बार जीवन में सब कुछ सही होने के बावजूद व्यक्ति दुख, तनाव और परेशानियों से घिर जाता है। जब वर्तमान परिस्थितियाँ प्रतिकूल नहीं होतीं, तब इन कष्टों का कारण पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मों का सिद्धांत अटल है और मनुष्य को अपने किए कर्मों का फल किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना पड़ता है।

शिवकथा है आत्मशुद्धि की चक्की: कथा वाचक ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे आटा पाने के लिए गेहूं को चक्की में ले जाना पड़ता है और बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाना होता है, उसी प्रकार पूर्व जन्मों के कर्मों से मुक्ति पाने के लिए शिवपुराण कथा का श्रवण आवश्यक है। उन्होंने कहा — 'शिवकथा वह आध्यात्मिक चक्की है, जहाँ पुराने कर्मों का बोझ धीरे-धीरे कटता चला जाता है।'

श्रद्धा और भाव ही सबसे बड़ा साधन: पंडित मिश्रा ने कहा कि कथा की अवधि से अधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा और भाव हैं। चाहे कोई श्रद्धालु तीन दिन कथा सुने या सात दिन, यदि वह सच्चे मन से शिवनाम का स्मरण करता है तो बाबा महादेव की कृपा अवश्य बरसती है। उन्होंने कहा कि शिवपुराण केवल कथा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग है।

संतों का सानिध्य सौभाग्य की बात: नरोत्तम मिश्रा: कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 'संतों का सानिध्य जीवन में सौभाग्य से ही मिलता है। आज डबरा की धरती धन्य है कि यहां पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे संत महात्मा के श्रीमुख से शिवकथा का श्रवण हो रहा है। यह संपूर्ण क्षेत्र के लिए गौरव और पुण्य का अवसर है।' उन्होंने कहा कि ऐसी कथाएँ समाज में आध्यात्मिक ऊर्जा और संस्कारों के संवर्धन का माध्यम बनती हैं।

हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा पंडाल: कथा के दौरान पूरा पंडाल 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने कथा को अपने जीवन से जोड़ते हुए इसे आत्मिक शांति और कर्म सुधार का माध्यम बताया। प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के साथ चल रही यह शिवपुराण कथा डबरा क्षेत्र में भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बन गई है। इस पुण्य अवसर पर संत श्री दंदरौआ सरकार रामदास महाराज, संत श्री चूना खो सरकार सेबानंद महाराज, महामंडलेश्वर श्री सोमनाथ महाराज, संत उदयानंद जी महाराज मद्दा खो उपस्थित रहे।

इसके पूर्व मंच पर पीठ का पूजन पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, डबरा विधायक सुरेश राजे, भाजपा के वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंगनाथ तिवारी, जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र रावत, जितेंद्र गौतम आदि ने किया।

यातायात अवरूद्ध कर रहे हाथ ठेले हटाए

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 12 फरवरी। नगर निगम के मदाखलत अमले द्वारा सुगम यातायात के लिए शहर के विभिन्न स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

मदाखलत अधिकारी रवि कोरी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार एवं नोडल अधिकारी केशव सिंह चौहान के निर्देशन में दक्षिण विधानसभा अंतर्गत नजरबाग मार्केट, सुभाष मार्केट, टाउन हॉल, टोपी बाजार एवं छापाखाना पर यातायात अवरुद्ध कर रहें हाथ ठेले एवं फुटपाथियों को हटाया जाकर सामान जप्ती की कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में मदाखलत निरीक्षक विशाल जाटव एवं दक्षिण विधानसभा अमला उपस्थित रहा।

गंदगी फैलाने पर वसूला जुर्माना: शहर स्वच्छ व साफ रहे इसलिए गंदगी फैलाने वालों, अमानक पॉलीथिन, गोबर नालियों में बहाने वालों एवं भवन सामग्री सड़क पर डालने वालों पर निगम द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

नाम संशोधन सूचना

मुझ प्रार्थीनी का सही नाम **सकुन्ना देवी (SAKUNA DEVI)** है जो कि मेरे पति के पेशन के पी.पी.ओ रजिस्ट्री, बैंक की पास बुक, खसरा और आदि दस्तावेजो में दर्ज है। आधार कार्ड में मेरा घरू नाम सगुना बाई दर्ज है। सगुना बाई और सकुन्ना देवी दोनो ही नाम मुझ एक ही महिला के है। अतः इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम **सगुना बाई (SAGUNA BAI)** के स्थान पर **सकुन्ना देवी (SAKUNA DEVI)** दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे **सकुन्ना देवी (SAKUNA DEVI)** के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जावे।

पुराना नाम- सगुना बाई (SAGUNA BAI)
नया नाम- सकुन्ना देवी (SAKUNA DEVI)
पति स्व. श्री कालीचरण (KALEECHARAN)
निवासी - भोला चौक मुरार ग्वालियर

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री संजय सिंह बघेल पुत्र श्री नरेश सिंह बघेल निवासी मंकुश वर्ल्ड स्कूल, कावड़े वाली गली, सिकंदर कैंप, लश्कर, ग्वालियर और श्री गोविन्दसिंह बघेल पुत्र कमलेश सिंह बघेल निवासी मंकुश वर्ल्ड स्कूल, कावड़े वाली गली, सिकंदर कैंप, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश द्वारा अपने स्वत्व, स्वामित्व, एवं अधिपत्य की अचल संपति आवासीय मकान, जिसका पुराना नंबर 46/1145 और वार्ड नंबर 53, वर्तमान वार्ड नंबर 51, सिकन्दर कम्पू लश्कर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश है। जिसका क्षेत्रफल 880 वर्गफुट यानि 81.78 वर्गमीटर लगभग है व उसकी चतुर सीमा पूर्व में-सम्पत्ति मोहिले, पश्चिम में-सम्पत्ति सोलंकी, उत्तर में-गली 10 फूट एवं दक्षिण में- भवन महेश राठौर है, को विक्रय पत्र क्र. एम.पी. 142602 025ए1114603 दिनांकित 20.02.2025 को अमर सिंह बघेल से क्रय किया था उक्त भवन को मेरे पक्षकार बैंक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित शाखा लश्कर ग्वालियर द्वारा शाखा प्रबंधक के हित में श्री संजय सिंह बघेल पुत्र श्री नरेश सिंह बघेल और श्री गोविंद सिंह बघेल पुत्र कमलेश सिंह बघेल बंधक कर ऋण प्राप्त किया जा रहा है अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति में किसी बैंक, संस्था निकाय या व्यक्ति के हित निहित हो या बंधक निष्पादन में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो 07 दिवस में मेरी पक्षकार बैंक या मेरे समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें विहित समय उपरांत बंधक मेरे पक्षकार के हित में हो जाने पर की गई कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निरर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार के विरूद्ध कतई बंधकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।
दिनांक: 12.02.2026

प्रेषक: **योगेन्द्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता)**
कार्यालय: 25, अनुपम नगर, ग्वालियर
मोबा: 98263-42546

नाम संशोधन सूचना

मुझ प्रार्थी का सही नाम **मानसिंह (MANSINGH)** है जो कि मेरे रजिस्ट्री, बैक की पास बुक, खसरा और आदि दस्तावेजो में दर्ज है। आधार कार्ड में मेरा घरू नाम मुरारी दर्ज है। मुरारी और मानसिंह दोनो ही नाम मुझ एक ही व्यक्ति के है। अतः इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम **मुरारी (MURARI)** के स्थान पर **मानसिंह (MANSINGH)** दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे **मानसिंह (MANSINGH)** के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जावे।

पुराना नाम- मुरारी (MURARI)
नया नाम- मानसिंह (MANSINGH)
पिता - श्री बिशुनलाल (BISHUNLAL)
निवासी - ग्राम जिगिनिया जखारा ग्वालियरम.प्र.-475002

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मनोज कुमार जैन पुत्र स्व. श्री नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु हमारे पक्षकार आई.सी.आई. सी.आई. बैंक लिमिटेड की शाखा-भिण्ड (म.प्र.) में आवेदन प्रस्तुत किया है। इस ऋण की प्रतिभूर्ति हेतु श्रीमती कमलादेवी जैन पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र कुमार जैन निवासी भूता बाजार, भिण्ड द्वारा अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के भवन जिसका म्युनिसिपल नंबर 69/38/1, वार्ड नं 5. जिसका कुल क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट है, तथा चर्तुसीमा पूर्व में-भवन निर्मल कुमार जैन, पश्चिम में मकान उत्तमचंद, उत्तर में-भवन मुन्नालाल एवं दक्षिण में आम रास्ता है। उपरोक्त सम्पत्ति स्व.श्रीमती कमलादेवी के ससुर श्री ज्ञानचंद के पिता सुरज पाल एवं श्री श्यामलाल पुत्रगण श्री मवासी लाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 28 सितम्बर 1937 को क्रय की थी. तत्पश्चात् सूरज पाल एवं श्यामलाल के वारिसानों के मध्य रजिस्टर्ड बंटवारा क्रमांक-1133, ग्रंथ क्रमांक 265, दिनांकित 06/06/1968 द्वारा सूरज पाल के वारिसान तथा श्यामलाल के वारिसान को प्राप्त हुआ। सूरज पाल के वारिसान नरेन्द्र कुमार जैन एवं निर्मल कुमार जैन को प्राप्त सम्पति में से 1/2 भाग प्राप्त होने के पश्चात् उनका नामातंरण नगर पालिका परिषद भिण्ड में हुआ। नरेन्द्र कुमार जैन की मृत्यु पश्चात उसका प्राप्त सम्पत्ति उसकी पत्नी श्रीमती कमलादेवी को प्राप्त हुयी तथा उनके द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर उपरोक्त भवन का निर्माण कराया गया है। नगर पालिका परिषद भिण्ड में श्रीमती कमलादेवी पत्नी स्व.श्री नरेन्द्र कुमार जैन का नामातंरण भी हो चुका है। अतः हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि, वह श्रीमती कमला जैन पत्नी स्व.श्री नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा या अन्य द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार किया गया हो या कोई बैंक, फायनेंसर, वित्तीय संस्था, निकाय, म.प्र. शासन या अन्य किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड बंधक रखने में आपत्ति हो या अपना भार सृजित करता है तो वह मय दस्तावेजों को मेरे कार्यालय में या आई.सी.आई.सी. आई बैंक लिमिटेड की शाखा भिण्ड म.प्र. में लिखित आपत्ति पांच दिवस में प्रस्तुत करे। अन्यथा बाद म्याद गुजरने उपरोक्त सम्पत्ति हमारे पक्षकार आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड की शाखा भिण्ड म.प्र. द्वारा बंधक रखी जावेगी तथा बाद म्याद गुजरने मेरे पक्षकार के विरूद्ध प्रस्तुत आपत्ति शून्य व प्रभावहीन होगी। दिनांक: 12/02/2026

प्रेषक
राकेश राजौरिया एडवोकेट
कार्यालय-ए-20, विजय नगर कालौनी, आमखो, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) मोबा- 9425335737, 94798 05405

टूटे चौराहा, फूटी सड़कें ग्वालियर की बन गई पहचान

स्मार्ट सिटी या बदहाली का शहर? सिरोल और सचिन तेंदुलकर मार्ग पर चलना दूभर

संजीव कुमार शर्मा

ग्वालियर, 12फरवरी। कहने को तो ग्वालियर प्रदेश के सबसे पुराने और वीआईपी महानगरों में शुमार है, जिसे 'स्मार्ट सिटी' बनाने के लिए करोड़ों का बजट कागजों पर दौड़ रहा है। लेकिन धरातल की हकीकत इसके उलट है। शहर के नए क्षेत्र के रूप में विकसित हुए सिरोल चौराहा और सचिन तेंदुलकर मार्ग की जर्जर हालत ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है।स्थानीय निवासियों और यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों में भारी आक्रोश है। हमने जब लोगों से बात की, तो कुछ तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। सुनील शर्मा का कहना है कि महीनों बीत गए, लेकिन इस चौराहे की सुध लेने वाला कोई नहीं है। धूल के गुबार और गड्ढों की वजह से अब यहाँ से निकलना सजा बन गया है। क्या इसी को स्मार्ट सिटी कहते हैं।

महीनों से टूटा चौराहा, उखड़ी सड़कें: सिरोल चौराहा, जो शहर के विस्तार का नया केंद्र बन चुका है, पिछले कई महीनों से बदहाली का शिकार है। चौराहे के बीचों-बीच बिखरे पत्थर और उखड़ी हुई डामर की परतें हादसों को न्योता दे रही हैं। यही हाल सचिन तेंदुलकर मार्ग का है, जहाँ अब सड़क कम और गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं।

आम जन की आवाज ...

ग्वालियर की मौजूदा स्थिति वाकई परेशान करने वाली है। एक तरफ हम 'स्मार्ट सिटी' का टैग लेकर चलते हैं, और दूसरी तरफ सिरोल जैसे महत्वपूर्ण रास्तों की यह बदहाली शहर के विकास के दावों पर सवालिया निशान लगाती है।

जे पी शर्मा, रिटायर्ड पुलिस अधीक्षक सिटी सेंटर

सिरोल की हालत देखकर कोई नहीं कह सकता कि हम किसी महानगर में रह रहे हैं। रात के समय यहाँ से गुजरना जोखिम भरा है। गड्ढों की वजह से आए दिन दोपहिया वाहन चालक फिसलकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में सोया है।

निधि शर्मा, समाजसेवी

ग्वालियर की पहचान टूटे चौराहे और फूटी सड़कों से होना शहर के गौरव के खिलाफ है। सड़कें इतनी खराब हैं कि वाहनों का मेंटेनेंस बढ़ गया है। यदि समय रहते इन प्रमुख मार्गों की मरम्मत नहीं की गई, तो स्मार्ट सिटी का सपना केवल फाइलों तक ही सीमित रह जाएगा।

भानू प्रताप चौरसिया, समाजसेवी

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, आर्मी नं. 16023996M, L/HAV, मोनू सिंह निवासी ग्राम भजपुरा पोस्ट पोरसा, जिला-मुरैना (म0प्र0) पिन 476116, है। मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरी पत्नी का नाम **(Pravina Singh) प्रवीणा सिंह** दर्ज है जो कि गलत है। अन्य दसावेजों के अनुसार भविष्य में सभी उद्देश्यों हेतु उनका सही नाम-**(Pravina Singh Rajawat) प्रवीणा सिंह राजावत** है। सत्यापित ऐफिडेविट नं. BX 682008 दिनांक 11/02/2020

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संजीव पटेल पुत्र श्री नेतराम पटेल निवासी गोसपुरा नं. 1 हजीरा परगना व जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश द्वारा अपने स्वत्व, स्वामित्व, एवं अधिपत्य की अचल संपत्ति आवासीय प्लाट स्थित मोहम्मदपुर जिला ग्वालियर के सर्वे क्रमांक. 77 वार्ड क्र. 6 में है जिसका क्षेत्रफल 574 वर्गफुट यानि 53.34 वर्गमीटर लगभग है व उसकी चतुर सीमा पूर्व में-प्लाट विक्रेता, पश्चिम में - प्लाट विक्रेता, उत्तर में- प्लाट संजीव पटेल एवं दक्षिण में-रास्ता 7.50 मीटर चौड़ा है, को विक्रय पत्र क्रं. एम.पी21 जीआर 17402025ए100302213 दिनांकित 13.05.2025 को जगजीत सिंह से क्रय किया था उक्त प्लाट को मेरे पक्षकार बैंक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित शाखा सिटी सेंटर ग्वालियर द्वारा शाखा प्रबंधक के हित में बंधक कर ऋण प्राप्त किया जा रहा है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति में किसी बैंक, संस्था निकाय या व्यक्ति के हित निहित हो या बंधक निष्पादन में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो 07 दिवस में मेरी पक्षकार बैंक या मेरे समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें विहित समय उपरांत बंधक मेरे पक्षकार के हित में हो जाने पर की गई कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निरर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार के विरूद्ध कतई बंधकारी नहीं होगी तदनुसार सूचित हो। दिनांक: 12.02.2026.

प्रेषक: **योगेन्द्र प्रताप सिंह (अधिवक्ता)**
कार्यालय: 25, अनुपम नगर, ग्वालियर
मोबा: 98263-42546

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती भारती पत्नी श्री उमेश ने उक्त अचल संपत्ति प्लॉट क्र. 26 स्थित ग्राम मालनपुर जिला ग्वालियर में है। जो कि सर्वे क्र. 467 का भाग जिसका कुलक्षेत्र 810 वर्गफुट है जिसका म्यु. वार्ड क्र. 63 है। जो मेरी पक्षकारा ने विक्रय अनुबंध पत्र के तहत क्रय करना स्वीकार किया। मेरी पक्षकारा के विक्रेता तुलसीदास पुत्र स्व. श्री कालीचरन के परिवारिक सदस्य श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व. श्री कालीचरन की काश्त की कृषि भूमि खसरे में संयुक्त भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज होकर चली आ रही। मेरी पक्षकारा के द्वारा किये विक्रय अनुबंध पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है। पूर्व में प्लॉट क्र. 25 पश्चिम में रोड उत्तर में प्लॉट क्र. 27 दक्षिण में रोड जिसका कुल क्षेत्रफल 810 वर्गफुट है। मेरी पक्षकारा के विक्रेता तुलसीदास पुत्र स्व. श्री कालीचरन के द्वारा उक्त अचल संपत्ति प्लॉट क्र. 26 मेरी पक्षकारा श्रीमती भारती पत्नि श्री उमेश को विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैक, सस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागो या प्राईवेट फायनेंश को कोई या विक्रेता परिवार के किसी सदस्य श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व. श्री कालीचरन को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 7 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्ज व आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी और मेरी पक्षकारा श्रीमती भारती पत्नि श्री उमेश अचल संपत्ति प्लॉट क्र. 26 का कुल क्षेत्रुफल 900 वर्गफुट को क्रय करने बावत हाउसिंग लोन की सुविधा आदित्य बिरला हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर से आवंटित करा रही है।
दिनांक 12.02.2026
ग्वालियर स्थान

भवदीय
संजय बाकलीवाल एडवोकेट।
चिक: संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के संग एकीकृत)
IDFC FIRST Bank
(CIN: L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +91 44 4564 4000, **फैक्स:** +91 44 4564 4022

सार्वजनिक सूचना
स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड से उसके द्वारा प्राप्त स्वर्ण आभूषण के विरुद्ध ऋण सुविधा के लिए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. चूंकि उधारकर्ता सुविधा के तहत बकाया राशि चुकाने में विफल रहा है. हम **21/2/2026** को गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों की नीलामी करने के लिए बाध्य हैं. यदि इस नीलामी से कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई घाटा होता है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के निम्नलिखित खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार है. इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी तिथि को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

ऋण खाता संख्या	ग्राहक का नाम	शाखा का नाम
175006645	अजय शर्मा	दतिया एमबीएल

नीलामी 21/2/2026 को दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक https://idfcegold.auctiontiger.net के माध्यम से ऑनलाइन / 21/122026 को दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक http://gold.samil.in के माध्यम से आयोजित की जाएगी. इस प्रकाशन के माध्यम से संबंधित उधारकर्ताओं को अंतिम सूचना और अंतिम अवसर दिया जाता है कि वे निर्धारित नीलामी तिथि से पहले सुविधा वापस ली गई राशि, सभी ब्याज और शुल्कों के साथ चुका दें, अन्यथा आभूषण की नीलामी की जाएगी. कृपया ध्यान दें कि यदि समय सीमा के कारण नीलामी उसी दिन पूरी नहीं होती है तो बैंक अगले 7 दिनों के भीतर उन्हीं नियमों और शर्तों पर गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की फिर से नीलामी करेगा.
दिनांक- 13/2/2026, स्थान- मध्य प्रदेश

जेयू में नैनो मैटेरियल्स पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आज से

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 12फरवरी। जीवाजी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ स्टडीज इन एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री द्वारा 'प्रदूषण निवारण में नैनोमैटेरियल्स के उभरते रुझान' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 13 एवं 14 फरवरी को किया जा रहा है।

यह संगोष्ठी पीएम-उषा के सहयोग से आयोजित होगी। इसी को लेकर गुरुवार को फिजिक्स डिपार्टमेंट में संयोजक डॉ निमिषा जादौन और प्रो एसएन महापात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। जिसमें उन्होंने बताया कि संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र आज प्रातः 10:30 बजे विश्वविद्यालय के गालव सभागार में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष प्रभारी कुलगुरू प्रो.जे.एन. गौतम होंगे। मुख्य अतिथि प्रो, पूर्व कुलगुरू, कोटा विश्वविद्यालय से नीलिमा सिंह चंदेल, विशिष्ट अतिथि प्रो. राजेश सिंह तोमर, कुलगुरू, एमिटी विश्व विद्यालय रहेंगे। संगोष्ठी का समापन सत्र 14 फरवरी को सायं 4:00 बजे सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी में आयोजित किया जाएगा। समापन सत्र में प्रो. स्मिता सहस्त्रबुद्धे, कुलगुरू, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी, जबकि अध्यक्षता प्रो. जे. एन. गौतम करेंगे। संगोष्ठी में देशभर से पर्यावरण रसायन, नैनोप्रौद्योगिकी और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ, शोधार्थी एवं शिक्षाविद भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य नैनोमैटेरियल्स के माध्यम से वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण नियंत्रण की नवीन तकनीकों, शोध निष्कर्षों और भावी संभावनाओं पर विमर्श करना है। कार्यक्रम के संयोजक डॉ.निमिषा जादौन एवं डॉ.एस.एन. मोहापात्रा हैं। आयोजकों के अनुसार यह संगोष्ठी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगी।

शिकायतों का निराकरण नहीं करने पर नोटिस जारी

ग्वालियर 12 फरवरी। सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने एवं अटेंड नहीं करने पर प्रभारी सहायक यंत्री जनकार्य, क्षेत्राधिकारी क्षेत्र क्रमांक 05, प्रभारी उपयंत्री जलप्रदाय, सीवर वार्ड क्रमांक-59, 26,19, 52,19, 16, 03, 18, 21, 48, 53 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को चेतावनी पत्र जारी किया गया। लेखा विभाग सहायक लेखापाल सचिन कठाने एवं कार्यरत लेखा विभाग विनियमित रिचा शर्मा, राजन यादव को सूचना पत्र जारी किया गया।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर (म.प्र.) ओहदपुर, सिरोल रोड, ग्वालियर पिन-474006

क्रमांक: ए.डी.एम./वि.अधि./आशायित विवाह: (24) 2026
ग्वालियर दिनांक 04 फरवरी, 2026

// विज्ञप्ति //

आवेदकगण विशेष सिन्हा पुत्र श्री विकास सिन्हा उम्र 29 वर्ष निवासी लेक गार्डन, कोलकत्ता पश्चिम बंगाल एवं मेघना केरवार पुत्री श्री जगदीश केरवार उम्र 26 वर्ष निवासी बंशी की बगिया ललितपुर कालोनी लश्कर ग्वालियर म.प्र. द्वारा दिनांक 04.02.2026 को साक्षीगणों की उपस्थिति मे विशेष विवाह अधिनियम 1954 आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुये आशयित विवाह हेतु धारा 5 के अन्तर्गत सूचना देकर तीन कलेन्डर मास के भीतर, अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित होना आशयित दर्शाया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन में वर एवं वधू द्वारा यह घोषणा की गई है कि आवेदकगण आवेदित दिनांक को अविवाहित हैं। वर द्वारा 21 वर्ष तथा वधू द्वारा 18 वर्ष की आयू पूर्ण कर ली गई है। उनकी आपस में कोई प्रतिषिद्ध नातेदारी नहीं है। यह भी घोषणा की गयी है दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार चित्त-विकृति के परिणामस्वरूप विधिमान्य सम्मत्ति देने में असमर्थ नहीं है।

2/ यदि किसी भी व्यक्ति को इस विवाह के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत/आपत्ति हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से तीस दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति या शिकायत अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं विवाह अधिकारी, ग्वालियर, 474006, मध्यप्रदेश, के कार्यालय के कक्ष क्रम 203 में दर्ज करा सकते हैं। नियत तिथि व्यतीत होने के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रकार शिकायत / आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। मेरे हस्ताक्षर तथा पदमुद्रा से जारी किया गया।

(सील) **अपर जिला मजिस्ट्रेट**
एवं विवाह अधिकारी जिला ग्वालियर म.प्र

नाम संशोधन सूचना

मुझ प्रार्थी का सही नाम **कार्तिक कुशवाह (KARTIK KUSHWAH)** है जो कि मेरी मार्कशीट, जन्मप्रमाण पत्र और आदि दस्तावेजो में दर्ज है। आधार कार्ड में मेरा घरू नाम कृष्णा दर्ज है। कृष्णा और कार्तिक कुशवाह दोनो ही नाम मुझ एक ही व्यक्ति के है। अतः इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम **कृष्णा (KRISHNA)** के स्थान पर **कार्तिक कुशवाह (KARTIK KUSHWAH)** दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे **कार्तिक कुशवाह (KARTIK KUSHWAH)** के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जावे।

पुराना नाम- कृष्णा (KRISHNA)
नया नाम- कार्तिक कुशवाह (KARTIK KUSHWAH)
पिता श्री जसराज सिंह (JASRAJ SINGH)
निवासी- ग्राम गडरोली पोस्ट बेहटग्वालियर म.प्र.-475002

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स प्रगति कंस्ट्रक्शन, LIG-1269, न्यू दर्पण कालोनी, थाटीपुर, ग्वालियर म.प्र. जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0167/23 दिनांक 27.11.2023 है जिसमें दिनांक 30.01.2026 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार श्रीमती अंचाई देवी त्यागी पत्नी श्री राकेश कुमार त्यागी आयु 58 वर्ष निवासी वार्ड नं. 11, मेहगांव, तेहसील मेहगांव, भिण्ड जो कि स्वेच्छा से फर्म से प्रथक हो गयी है तथा उनके स्थान पर नवीन साझेदार श्री योगेन्द्र शर्मा पुत्र श्री प्रताप नारायण शर्मा आयु 32 वर्ष निवासी वार्ड नं. 11, दयाल गली, मौ रोड, मेहगाँव, भिण्ड जो नवीन साझेदार के रूप में शामिल हो गये है। भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताविक शेष साझेदार / नवीन साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है।

मैसर्स प्रगति कंस्ट्रक्शन,
श्री हिरदेश कुमार त्यागी (पार्टनर)

मेगा ड्राइव फॉर माइक्रो डस्ट क्लीनिंग अभियान चला

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 12 फरवरी। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ग्वालियर में वायु सुधार हेतु जन जागरूकता कार्य के अंतर्गत मेगा ड्राइव फॉर माइक्रो डस्ट क्लीनिंग अभियान अंतर्गत भारत पेट्रोल पम्प से डीडी नगर गेट नम्बर 1 तक अभियान चलकर रोड की सफाई की गई। अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ग्वालियर में वायु सुधार हेतु जन जागरूकता कार्य के अंतर्गत मेगा ड्